कार्यालय पथ प्रकाश, नगर निगम, सहारनपुर।

दिनांक– 23.3.17

संख्या Memo/स्वा0वि0/न0नि0सहा0/2016–17

अल्पकालिक निविदा सूचना द्वारा ई–टैण्डर

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम में पथ प्रकाश व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु आउटसोर्सिंग पर अस्थाई विद्युत मिस्त्री व विद्युत हैल्परो की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि मे आपूर्ति हेतु विद्युत मिस्त्री व विद्युत हैल्पर की दरे निगम द्वारा निर्धारित है, निविदादाता से प्रति मिस्त्री व विद्युत हैल्पर पर कितना लाभ चाहता है के सम्बन्ध मे दिनांक 31.03.2017 को सांय 04:00 बजे तक वेबसाईट **etender.up.nic.in** पर निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदाएं अभिलेख एंव शर्ते वेबसाइट **etender.up.nic.in** पर दिनांक 24.03.2017 से दिनांक 30.03.2017 को प्रातः 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगें, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, तथा अथोराईज्ड फर्म दिनांक 31.03.2017 को सांय 03:00 बजे तक वेबसाइट **etender.up.nic.in** पर आनलाईन अपनी निविदा दर/दरें डाल सकते है, निर्माता कम्पनी/अथोराईज्ड फर्म निविदा के साथ अंकन 1,00,000.00 रु0 जमानत राशि की एफडीआर/एनएससी/सीडीआर/डीडी एंव निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रुप में जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के पक्ष में निविदा समिति के समक्ष दिनांक 31.03.2017 को सांय 04:00 बजे खोले जायेगें, के उपरान्त उक्त तिथि का ही आनलाईन के माध्यम से डाली गई निविदाएं खोली जायेगी। बिना जमानत राशि एंव सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर में निहित होगा। टैन्डर एंव शर्ते **http:://saharanpur.nic**.in एंव **http:://saharanpurnagarnigam.in** पर भी देखा जा सकता है।

कार्य विवरण

फाईल संख्या	क्र.स.	कार्य का नाम	जमानत राशि	टैण्डर का मूल्य बिक्रिकर सहित (रुपये में)
	1.	अस्थाई विद्युत मिस्त्री व विद्युत हैल्परो की आपूर्ति	कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत, टैण्डर डालते समय अंकन 1,00,000.00 शेष स्वीकृति के उपरान्त	

प्रभारी पथ प्रकाश 24.3.17
नगर निगम, सहानपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, सहानपुर

पत्रांक एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि –

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) महोदय, सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर।
4. प्रभारी एनआईसी को उक्त सूचना **http:://saharanpur.nic** पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रबन्धक दैनिक....[illegible]............एंव [illegible] समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में डीएवीपी दर पर प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियो सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
6. श्री कुलदीप कुमार आई0टी0ओ0 उक्त सूचना **http:://saharanpurnagarnigam.in** पर निविदा नोटिस व शर्ते अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. गार्ड फाईल हेतु।

प्रभारी पथ प्रकाश
नगर निगम, सहानपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, सहानपुर

नियम एंव शर्तेः–

यह निविदा पथ प्रकाश विभाग मे विद्युत मिस्त्री एंव विद्युत हैल्पर की वाह्य फर्मो से आपूर्ति से सम्बन्धित है।

1. आपूर्तिकर्ता को कम से कम दस विद्युत मिस्त्री/विद्युत हैल्पर कि आपुर्ति का किसी विभाग में दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण आयकर मे होना चाहिए।
3. आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण श्रम विभाग मे होना चाहिए।
4. किसी भी दुर्घटना होने की दशा में आपूर्तिकर्ता ही जिम्मेदार होगा, न कि नगर निगम। इस आशय का अनुबन्ध आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
5. कर्मचारियों को टूल–किट आदि की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जायेगी।
6. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक विद्युत मिस्त्री एंव विद्युत हैल्पर के लिए पी.डब्लू.डी. वर्तमान अनुसूची के अनुसार विद्युत मिस्त्री के लिये 425.00 रुपये प्रतिदिन एंव विद्युत हैल्पर के लिये 305.00 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थात 26 दिनो के लिए अकंन 10530.00 रुपये विद्युत मिस्त्री के लिए एंव 7930.00 रुपये विद्युत हैल्पर के लिए प्रतिमाह की धनराशि का भुगतान किया जाना है।
7. आपूर्तिकर्ता को उपरोक्त धनराशि में से ई.एस.आई. के लिए 1.75% धनराशि ई.पी. एफ. के लिए 13 प्रतिशत धनराशि काटकर चयनित फर्म को मिस्त्री/श्रमिको का वेतन हेतु भुगतान अकाउंटपेयी चैक, एन.ई.एफ.टी. या आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कर्मचारी को करेगा।
8. नगर निगम ई.एस.आई. के मद में अपनी ओर से अंशदान मिलाकर कर्मचारी हेतु ई.एस.आई. विभाग में जमा रखेगा तथा ई.पी.एफ. हेतु कटोती की गयी धनराशि एक पृथक अकाउंट में जमा रखेगा तथा सक्षम न्यायालय के निर्णय के उपरांत यदि धनराशि जमा करनी हो तो नगर निगम द्वारा कटोती की गयी धनराशि को कर्मचारी को सीधे चैक आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी. आदि के माध्यम से भुगतान करेगा।
9. सर्विस चार्ज यदि हो तो नगर निगम द्वारा वहन किया जायेगा। आयकर की कटौती चयनित फर्म के बिल से नगर निगम द्वारा की जायेगी। यह निविदा सिर्फ इस आश्य से होगी कि निविदादाता प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कितनी धनराशि लाभ के रुप में नगर निमम से प्राप्त करना चाहता है।
10. फर्म द्वारा प्रत्येक माह की देय धनराशि का बिल अगले माह की 07 तारीख तक भुगतान कर अपना बिल प्रस्तुत करेगा एंव विभाग द्वारा सामान्य रुप से माह के प्रथम पक्ष में उक्त बिल का भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।

23/3/17

11. ठेकेदार किसी माह की देय धनराशि आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रुप से कर्मचारी को अकाउंटपेयी चैक, एन.ई.एफ.टी. या आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान करेगा तथा इसकी सुचना नगर निगम को देगा यदि फर्म द्वारा 15 तारीख तक भुगतान नही किया जाता तथा उपरोक्त सुचना नगर निगम को नही दी जाती तो प्रत्येक दिन के लिये अंकन रु0 500.00 का अर्थदण्ड ठेकेदार के बिल से वसूला जायगा तथा उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही अम्ल मे लायी जायेगी।

12. आपूर्ति किये जाने वाले अस्थाई अस्थाई विद्युत मिस्त्री व विद्युत हैल्परो का बीमा कराने की जिम्मदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। जिसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय मे जमा करानी होगी।

13. स्वीकृत निविदादाता को अपने व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।

14. आपूर्तिकर्ता को विद्युत मिस्त्रियों लिये केवल विद्युत लाईसेन्स अथवा कौशल विकास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. आपूर्तिकर्ता को स्वीकृत धनराशि की कुल 10% जमानत रुप मे नगर निगम कार्यालय एफडीआर/एनएससी/सीडीआर/डीडी एंव निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रुप में जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक हो कार्यालय मे जमा करानी होगी जिसमे से निविदा के साथ अंकन 1,00,000.00 रु0 जमानत राशि की एफडीआर/एनएससी/सीडीआर/डीडी एंव निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रुप में जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक हो जमा करानी होगी, जो कि 10% बन्धक में समायोजित कर ली जायेगी।

16. निर्धारित दरो के आधार पर 31.03.2018 तक आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेगे व आपूर्तिकर्ता को इन्ही दरो पर निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुरुप आपूर्ति करनी होगी।

17. चयनित निविदा दाता को दिये गये मानक के अनुरुप ही आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

18. किसी भी वाद विवाद की स्थिति मे अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त महोदय का होगा, जो कि दानो पक्षो को मान्य होगा।

19. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश के दो दिन के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

20. नगर आयुक्त महोदय का जनहित एंव निगमहित में किसी भी समय किसी भी शर्त को संशोधित करने अथवा नई शर्त आरोपित करने का अधिकार होगा।

21. आपूर्ति संतोष जनक होने पर निविदा को सक्षम अधिकारी की सहमति के बाद आगे बढाया जा सकता है।